फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण
बलदेवराम

बनाम

अप्रार्थीगण
गांगीलाल वगै

मुकदमा नं. 13 /2017

केस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
15.02.2017	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री हनुमानराम मण्डा ने पेश कर अस्थाई निशेधाज्ञा बाबत निवेदन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन से मामला प्रथम दृश्टयां प्रार्थीया के पक्ष मे सुविधा का सुतंलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर मौजा धीजपुरा के खसरा नं 1759 रकबा 36–11 बीघा भूमि के बैचान/रहन/गिरवी आदि हस्तान्तरण पर अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निशेधाज्ञा से पांबद किया जाता है अप्रार्थी संख्या 6 को दस्तावेज पंजीयन नहीं करने हेतु पांबद किया जाता है व अप्रार्थी संख्या 5 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पांबद किया जाता है व प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरों को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 15.03.2017 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	
15/3/17	पक्षकारान प्रार्थी उप. / अप्रार्थीगणो के तामील के इन्तजार में पत्रावली दि 15-5-17 को पेश हो। पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
6-9-17	पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 12-1-18 को प्रस्तुत करें।	

12.1.18 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता
प्रतिवादी क्र.01 से 04 की ओर से जवाब के वकील/वकालतनामा रामकरण? बैड़ा ने वकालतनामा पेश किया

पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 12/2/18 को

Scanned by CamScanner

12-2-18 | [illegible] पक्षकारान : [illegible]

[illegible] अधिकारी [illegible] कारण [illegible] पर गये हुए हैं, इस [illegible] उनके [illegible] दिनांक 5-3-18 को प्रस्तुत करें।

5-3-18 | पक्षकार [illegible] उपस्थित

[illegible] अवकाश [illegible] कारण उनके [illegible] प्रस्तुत [illegible] 4-4-18 को

04.04.18 | वक्त हाजिरी उक्त आरोपी सं. 02 की ओर से वकील हरीश पारीक ने वकालतनामा पेश किया जो मूल वाद की पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली आरोपी सं. 01 से 04 के जवाब व आरोपी सं. 05 से 06 की तलबी हेतु दिनांक 28.6.18 को पेश हो।

31.5.18 | पत्रावली न्याय आप के द्वारा वर्ष 2018 में शिविर स्थल अटल सेवा केन्द्र ~~में~~ सुरपालिया में पेश हुई। इस पत्रावली के मूल वाद में राजीनामा से निर्णय किया जा चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

Scanned by CamScanner